स्थापना : 1959 पंजीयन क्र.: 59

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज,रायपुर (छ.ग.)

चौ. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन. द्वितीय तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.) 492001

Chhattisgarh Chamber of Commerce & Industries, Raipur (C.G.)

Ch. Devilal Vyapar Udyog Bhawan, 2nd Floor, Bombay Market, Raipur (C.G.) INDIA

CCCI

Ph.: 0771-2539275, 4034572 , Fax : 0771-2539275

Website : www.cgchamber.org Email : info.cgchamber@gmail.com

प्रति, दिनांक: 17 मई 2020

माननीय श्री भूपेश बघेल जी
मुख्यमंत्री-छत्तीसगढ़ शासन
प्रतिलिपि:
*अपर मुख्य सचिव मुख्य मंत्री
गृह एवं जेल विभाग,उर्जा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सुचना प्रौद्यिगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग
छत्तीसगढ़ शासन, कार्यालय- रायपुर
*जिला दंडाधिकारी,रायपुर

विषय: 18 मई से रायपुर में समस्त व्यापार,दुकानों को शुरू करने की अनुमति हेतु

आदरणीय महोदय,

छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के निवेदन पर आपके द्वारा दिए गए निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा गत सोमवार11 मई से कुछ और व्यापार-दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, व्यापारियों के प्रति आपकी संवेदनशीलता के लिए आपका आभार

- कोरोना संक्रमण रोकने हेतु जारी केंद्र एवं प्रदेश शासन के नियमों के पालन में हमारी सामाजिक जिम्मेदारी जानते हुए उसका पालन करवाने हेतु हम कटिबद्ध हैं
- यह लगभग तय है कि भारत में कोरोना से मुक्त होने में लम्बा समय संभवतः कई माह लग सकते हैं अतः संक्रमण रोकने की सावधानियों का कठोर पालन करते हुए 55दिनों से बंद समस्त आर्थिक गतिविधियों को खोलना अब जरुरी हो गया है
- हम जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु लॉक डाउन अथवा लॉक डाउन की बाद के अगले कुछ/कई माह तक सोशल दुरी को मेन्टेन करने हेतु बाज़ारों में भीड़ न हो इत्यादि नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है
- लम्बे अवधि के लिए अब जो व्यवस्था बनाई जाये उसमे प्रशासनिक अधिकारीयों -कर्मचारियों को भी दबाव मुक्त रखने पर ध्यान दिया जाना जरुरी है विशेषकर फील्ड में पुलिस कर्मियों को, किसी को भी बहुत लम्बी ड्यूटी न करना पड़े और यह तभी संभव है जब प्रशासनिक व्यवस्थाये और नियम और अधिक स्पष्ट हो जिससे पालन करवाने और करने वाले को भ्रम न हो
- आप सबके द्वारा पिछले 10 मई से कुछ और दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी इस हेतु हम आपके आभारी हैं
- महोदय, लेकिन जिन व्यापारियों की दुकाने इस सूचि में भी नहीं खुली हैं हमारा मानना है किअब समस्त व्यापारों को अवसर मिले
- समीक्षा बैठक में चैम्बर प्रतिनिधियों को शामिल कर व्यापारियों की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था और बेहतर बनाई जा सकती है
- **निम्नानुसार व्यापार को अब भी अनुमति नहीं मिली है:**
  बर्तन, गैस चूल्हा एवं पार्ट्स, होम एप्लायंस एवं पार्ट्स व रिपेरिंग, कुकर रिपेरिंग,
  घरेलु कुटीर उद्योग जैसे नमकीन,सेवई, मसाला, टॉफी, पापड़,आचार, इत्यदि बनाने वाले और लघु-कुटीर उद्योग-शहर सीमा के अन्दर व बाहर
  मोबाइल,इलेक्ट्रोनिक्स,एयर कंडीशनर, फर्नीचर, फोम एवं फर्निशिंग,गद्दा, इनवर्टर एवं पार्ट्स, सीसीटीवी कैमरा एवं पार्ट्स, रेलवे एवं एयर टिकट बुकिंग एजेंसी
  प्लाई वुड, टिम्बर मिल और शॉप, अल्युमिनियम शीट और पाइप, ग्लास, डोर फिटिंग्स और असेसरीज, लकड़ी

प्लास्टिक सामान,पकेजिंग मटेरियल्स, स्कुल एवं ट्रेवलिंग इत्यादि बैगेज, क्रोकरी, खिलोने, घडी एवं रेडियो, मनिहारी, चश्मा, फेंसी एवं जनरल स्टोर्स, स्पोर्ट्स एवं म्यूजिकल इंस्ट्रमेंट्स
टेलरिंग, सेलून, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनर्स
प्रिंटिंग प्रेस एवं मटेरियल्स, फोटो स्टूडियो, फोटो कॉपी सेंटर्स, कम्प्यूटर एवं पार्ट्स ,
कॉपी रजिस्टर निर्माण (शहर के अन्दर-बाहर),
पूजा एवं अंतिम संस्कार सामग्री, अगरबत्ती
सायकल, सराफा,ऑटोमोबाइल-दो पहिया,तिपहिया,चार पहिया वाहनों के स्टोर्स/शो रूम
इत्यादि और भी समस्त व्यापार-दुकानों को सोमवार 18 मई से खोलने की अनुमति/अवसर देने हेतु कृपया निर्देशित करें
सादर

रमेश गाँधी	जितेन्द्र बरलोटा	लालचंद गुलवानी	प्रकाश अग्रवाल
चेयरमैन	अध्यक्ष	महामंत्री	कोषाध्यक्ष